"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 101-अ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 अप्रैल 2007—चैत्र 23, शक 1929

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2007

अधिसूचना

क्रमांक-1545/884/18/2007.—छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (6) और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 के साथ पठित धारा 29 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. समस्त नियमों में शब्द "अभ्यर्थी" जहां कहीं भी आया हो के पश्चात् "और अपने पद से वापस बुलाये जाने के मामले में संबंधित महापौर/अध्यक्ष" अंत: स्थापित किया जाए.

2. उक्त नियमों में नियम 2 के खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत: स्थापित किया जाए.
"और उसमें सम्मिलित है, यथास्थिति, किसी नगरपालिका निगम के महापौर या किसी नगरपालिका या नगर पंचायत के अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन"

3. नियम 11 (क) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए :—

"11 (ख) निर्वाचन के प्रयोजन के लिए यान आदि का अधिग्रहण :—

(1) जिला निर्वाचन अधिकारी, यदि उसे छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा छत्तीसगढ़ नगरपालिका

अधिनियम 1961 के अधीन निर्वाचन के संबंध में यह प्रतीत हो कि किसी मतदान केन्द्र पर या मतदान केन्द्र से मतपेटियों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्त्तव्यों के पालन के लिए किसी अधिकारी या अन्य व्यक्ति के परिवहन हेतु किसी यान, जलयान, या पशु की आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है तो वह लिखित आदेश द्वारा ऐसे यान जलयान या पशु का अधिग्रहण कर सकेगा और ऐसे और आदेश कर सकेगा, जो उसे अधिग्रहण के संबंध में आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों.

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को, जिस ज़िला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यान, जलयान या पशु का स्वामी समझा गया हो या उस व्यक्ति को, जो उनका कब्जा रखता हो, संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा और ऐसा आदेश उस व्यक्ति पर तामिल किया जाएगा, जिसे वह संबोधित किया गया हो.

(3) जब कभी किसी यान, जलयान या पशु का इस नियम के अधीन अधिग्रहण किया जाता है तो ऐसे अधिग्रहण के कालावधि, उस कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जायेगी, जिसके लिए इस उप-नियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए ऐसा यान, जलयान या पशु अपेक्षित है.

स्पष्टीकरण—इस नियम में "यान" से अभिप्रेत है ऐसा कोई यान, जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है, चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो.

11 ग प्रतिकर या संदाय—जब कभी नियम 11 (ख) के अनुसरण में किसी यान, जलयान या पशु का अधिग्रहण किया जाता है तो उसके स्वामी को प्रतिकर का संदान किया जाएगा, जिसकी रकम जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा उस दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के लिए ऐसे यान, जलयान या पशु हेतु नियत की गई है.

परन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवधारित की गई प्रतिकर की रकम से व्यथित कोई व्यक्ति प्रतिकर अवधारित किए जाने वाले आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ को पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास छत्तीसगढ़ का विनिश्चय अंतिम होगा.

11 घ यानों, जलयानों या पशुओं के अधिग्रहण के आदेश की तामीली की रीति नियम

11 ख के उपनियम (1) के अधीन अधिग्रहण के आदेश की तामीली—

(1) जहां वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित है, कोई नियम या फर्म हो तो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का सं. 5) की प्रथम अनुसूची में यथास्थिति, आदेश 29 के नियम 2 या आदेश 30 के नियम 3 में समन की तामील के लिए उपबंधित रीति में, और

(2) जहां वह व्यक्ति, जिसे ऐसा आदेश संबोधित हो, कोई व्यक्ति हो, तो—

(क) आदेश की व्यक्तिशः परिदत्त या विनिदत्त करके, या

(ख) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा, या

(ग) यदि व्यक्ति नहीं पाया जा सके तो आदेश की एक अधिप्रमाणित प्रति उसके कुटुंब के किसी व्यस्क पुरुष सदस्य के पास छोड़कर या ऐसी प्रति उस परिसर के जिसमें उसका अंतिम निवास करना या कारबार करना अथवा अभिलाभ के लिए व्यक्तिशः कार्य करना ज्ञात है, किसी सहजदृश्य भाग पर चिपका कर, की जाएगी.

11 ङ अधिग्रहण संबंधी किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति नियम 11-ख के उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धी पर ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जाएगा.

4. नियम 34 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(क) संबंधित वार्ड का निर्वाचित पार्षद भी केवल अपने वार्ड से संबंधित प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक अभिकर्त्ता नियुक्त कर सकेगा. ऐसी नियुक्ति प्रारूप 12 में दो प्रतियों में लिखित पत्र द्वारा, जिस पर संबंधित वार्ड के पार्षद के हस्ताक्षर होंगे, की जायेगी.

5. अध्याय-8 के नियम 75 के निम्नलिखित नियम एवं अध्याय अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"अध्याय-8-क-महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने संबंध में मतदान"

75-क महापौर/अध्यक्ष को अपने पद से वापस बुलाने संबंधी प्रक्रिया का प्रारंभ-यथास्थिति, छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) या छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन संदर्भ प्राप्त होने पर राज्य निर्वाचन आयोग, यथास्थिति, महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन प्रक्रिया तुरंत आरंभ करेगा और उसे छह मास के भीतर पूरी करेगा.

75-ख वर्तमान नियम स्थिति के अनुसार लागू रहेंगे-अध्याय-8-क के प्रायोजन के लिए छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के अध्याय 1 से 8 तक तथा अध्याय 9 के नियम, ऐसे परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, जैसा आयोग उचित समझें.

75-ग मतदान की सूचना तथा उसके लिए समय सूची-निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित की गई समय-सूची के अनुसार जिला निर्वाचन अधिकारी, प्ररूप 25 में सूचना द्वारा—

(एक) मतदान का दिनांक और समय

(दो) मतगणना का स्थान, दिनांक तथा समय विनिर्दिष्ट करेगा

75-घ नियम 75-ग के अधीन सूचना के प्रकाशन की रीति-नियम 75 ग के अधीन सूचना, मतदान के लिए विहित की गई तारीख से कम से कम बीस दिन पूर्व सूचना की एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों के सूचना फलक पर चिपकाकर प्रकाशित की जाएगी :—

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी- (नगरपालिका)

(दो) रिटर्निंग आफिसर (संबंधित नगरपालिका)

(तीन) संबंधित नगरपालिका, और रिटर्निंग आफिसर उक्त सूचना की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्त्ता को प्रदान करेगा.

75-ङ मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन-रिटर्निंग आफिसर, इन नियमों के अनुसार पर्याप्त संख्या में मतदान केन्द्रों की व्यवस्था करेगा और नियम 75-ग के अधीन जारी की गई सूचना के साथ मतदान केन्द्रों तथा मतदान क्षेत्रों को, जिनके लिए वे बनाये जाएंगे, दर्शाते हुए सूची प्रकाशित करेगा.

75-च प्रतीकों का आवंटन—राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अध्यधीन रहते हुए रिटर्निंग आफिसर, संबंधित महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने तथा पद बने रहने के लिए अलग-अलग प्रतीक विहित करेगा और उसे प्ररूप-26 में प्रकाशित करेगा.

75-छ नियम 75 च के अधीन प्ररूप 26 के प्रकाशन की रीति-प्ररूप 26, नियम 75-ग के अधीन निर्वाचन की सूचना के प्रकाशन के साथ ही प्रकाशित किया जाएगा और ऐसा प्रकाशन निम्नलिखित कार्यालय के सूचना फलक पर सूचना चिपका कर किया जायेगा.

(एक) जिला निर्वाचन अधिकारी-(नगरपालिका)

(दो) रिटर्निंग आफिसर (संबंधित नगरपालिका)

(तीन) संबंधित नगरपालिका, और रिटर्निंग आफिसर प्ररूप 26 की एक प्रति संबंधित महापौर/अध्यक्ष को या उसके अभिकर्त्ता को भी परिदान करेगा.

75-ज मतदान के परिणाम की घोषणा—रिटर्निंग आफिसर, मतगणना के पश्चात् यथासंभव शीघ्र प्ररूप-27 में मतदान के परिणाम की घोषणा करेगा और उसकी दो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेगा, जिसमें से एक अभिलेख के लिए होगी और दूसरी प्रति उसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को अग्रेषित की जायेगी.

75-झ महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के सबंध में निर्वाचन के परिणाम की अधिसूचना-महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन के परिणाम को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा.

75-ञ रिक्ति की अधिसूचना—यदि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक मतदाताओं द्वारा संबंधित महापौर या अध्यक्ष को वापस बुलाए जाने के पक्ष में मतदान किया है, तब यथास्थिति, संबंधित महापौर या अध्यक्ष का पद, परिणाम घोषित होने की तारीख से रिक्त समझा जाएगा, और ऐसी रिक्ति की सूचना, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाएगी.

6. नियम 76 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किया जाये.

"(5) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 26 के अधीन किया गया प्रतिभूति निक्षेप वापिस नहीं किया जाएगा तथा राज्य सरकार को समपहृत हो जाएगा, यदि उसके लिए दावा, यथास्थिति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसके विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से छह मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाए."

7. नियम से संलग्न प्ररूप 24 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप 25, 26, 27 अतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

प्ररूप 25
(नियम-75 ग देखिये)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जिला .... महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में निर्वाचन की सूचना.

क्रमांक ....छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (2)/छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 47 की उपधारा (2) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को नगरपालिका निगम .... के महापौर/नगरपालिका/नगर पंचायत ....के अध्यक्ष श्री/श्रीमती .... को वापस बुलाने के संबंध में मतदान कराने का संदर्भ इस आधार पर किया है कि तीन चौथाई पार्षदों द्वारा बुलाये जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं.

अत: छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3)/छत्तीसगढ़ अधिनियम, 1961 की धारा 47 की उपधारा (3) के अंतर्गत उक्त महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में नियमानुसार मतदान की व्यवस्था करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मुझे निर्देश दिया गया है.

अतएव छत्तीसगढ़ नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 75-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए .... मैं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जिला .... नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत .... के उक्त महापौर/अध्यक्ष श्री /श्रीमती .... को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के लिए एतद्द्वारा निम्नानुसार सूचना देता हूं.

(एक) मतदान दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न से ....बजे अपरान्ह तक होगा.

(दो) मतगणना दिनांक .... को स्थल .... पर .... बजे पूर्वाह्न से .... बजे अपरान्ह तक होगी.

(तीन) इस मतदान के लिए श्री .... कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रिटर्निंग आफिसर होंगे.

स्थान :

दिनांक :

जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका)

जिला ....

नाम ....

प्ररूप 26

(नियम–75 च देखिये)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत .... के महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती .... को वापस बुलाने के संबंध में मतदान

नाम 1	मतदान का विकल्प 2	प्रतीक 3
	(क) वापस बुलाने के लिए .... (पद रिक्ति के लिए वापस)	
	(ख) वापस बुलाने के विरुद्ध .... (पर पूर्ववत बने रहने के लिए)	

स्थान :

दिनांक :

रिटर्निंग आफिसर (नगरपालिका)

नाम ....

प्ररूप 27

(नियम-75 ज देखिये)

महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के संबंध में मतदान के परिणाम की घोषणा नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायत ....के महापौर/अध्यक्ष श्री/श्रीमती .... को वापस बुलाने के संबंध में दिनांक .... को हुए मतदान में कुल .... मत पड़े जिनमें से .... मत वापस बुलाने के पक्ष में तथा ....मत वापस बुलाने के विरुद्ध तथा .... मत अवैध पाये गये थे.

अतएव मैं .... रिटर्निंग आफिसर, एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक/आधे से कम मतदाताओं ने महापौर/अध्यक्ष को वापस बुलाने के पक्ष में मतदान किया है जिसके परिणामस्वरूप, महापौर,/अध्यक्ष, पदमुक्त माना जायेगा/पद पूर्ववत धारण करता रहेगा.

स्थान :

दिनांक : हस्ताक्षर (रिटर्निंग आफिसर)

नाम ....

(मुहर)

Raipur, the 13th April 2007

NOTIFICATION

R. No. 1545/884/18/07.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 10 read with Section 433 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sub-section (6) of Section 29 read with Section 355 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government in consultation with the State Election Commission hereby makes the following further amendments in the Chhattisgarh Nagar Palika Nirvachan Niyam, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

1. In all the rules of the word "Candidate" wherever they occur after the word "and the Mayor/President concerned in relation to recall from his offices" shall be inserted.

2. After clause (d) of rule 2, the following paragraph shall be inserted.

"and includes the election in relation to recall the Mayor of a Municipal Corporation or the President of a Municipality or Nagar Panchyat from his office as the case may be."

3. After rule 11-A the following rules shall be inserted.

"11-B. Requisition of Vehicles etc. for Election purposes—

(1) The District Election Officer may, if it appears to him in connection with an election under the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 and Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 that any vehicle, vessel or animal is needed or is likely to be needed for the purpose of transport of ballot boxes to or from any polling station or transport of members of the police force from maintaining law and order during the conduct of such election, or transport of any officer or other person for performance of any duties in connection with such election he may by order in writting requisite such vehicle, vessel or animal and may make such further orders as may appear to him to be necessary or expedient in connection with the requisition.

(2) The requisitioning shall be effected by an order in writting addressed to the person deemed by the District Election Officer to be the owner or person in possession of the vehicle; vessel or animal and such order shall be served on the person to whom it is addressed.

(3) Whenever any, vehicle, vessel or animal is requisitioned under this rule, the period of such requisitioning shall not extend beyond the period for which such vehicle, or animal is required for any of the purposes mentioned in this sub-rule.

Explanation—In this rule "Vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise."

11-C. Payment of compensation—Whenever in pursuance of Rule 11-B any vehicle, vessel or animal is requisitioned there shall be paid to the owner thereof compensation, the amount of which shall be determined by the District Election Officer on the basis of the rate fixed for such vehicle, Vessel or animal by the Chief Election Officer of the State of Chhattisgarh for State Assembly Elections :

Provided that any person aggrived by the amount of compensation determined by District Election Officer, may apply within thirty days from the date of the order determining the compensation to the Director, Urban Administration and Development Chhattisgarh for a review. The decision of the Director, Urban Administration and Development Chhattisgarh shall be final."

11-D. Manner of serving order or requisition of vehicles, vessels and animals—An order of requisition under sub-rule (1) or Rule 11-B shall be served :—

(1) Where a person to whom such order is addressed a Corporation or firm, in the manner provided for the service of summons in Rule 2 of Order XXIX or Rule 3 of Order XXX, as the case may be, in the first Schedule to the Code of Civil Procedure Act, 1908 (No. V of 1908) and

(2) Where the person to whom such order is addressed is an individual :—

(i) Personally by delivering or tendering the order, or

(ii) By registered post with acknowledgment due, or

(iii) If a person cannot be found, by leaving an authentic copy of the order with any adult male member of his family, or by affixing such copy on some conspicuous part of the premises in which he is known to have last resided or carried on business, or personally worked for gain."

11 -E Penalty for contravention of any order regarding requisition—If any person contravenes any order made under sub-rule (1) of Rule 11-B shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to rupees five hundred or with both."

4.- After sub rule (1) rule, 34, the following sub rule shall be inserted, namely :—

"(A) The elected councillor of the ward concerned may also appoint one agent for each of the polling station of the ward such appointment shall be made by a letter signed by the councillor of the ward in writting in duplicate in Form-12"

5. After rule 75, of Chapter VIII the following rule and chapter shall be inserted, namely :—

"Chapter VIII-A -Polling in relation to recall to recall of the Mayor/President form his office

75-A. Commencement of the process in relation to recall to recall of Mayor/President form his Office—When a reference under sub-section (3) of section 24 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1995 or under sub-section (3) of Section 47 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 as the case may be, is received, the State Election Commission shall forthwith initiate the election process in relation to recall the Mayor or the President as the case may be and shall complete it within six months.

75-B. Present Rules to remain applicable according to situation—For the purpose of chapter VIII-A, the Rules form chapter one to eight and chapter nine of the Chhattisgarh Nagar Palika Nircachan Niyam, 1994 shall be applicable with such changes as the Commission may deem proper.

75-C. Notice of poll and time schedule there for—In accordance with the time schedule published by the Election Commision, the District Election Officer shall by notice in form 25.

(1) Specify the date and time of polling;

(2) Specify the place, date and time of counting of votes.

75-D. Manner of Publication of notice under Rule 75-C—Notice under rule 75-C shall be published at least twenty days before the date prescribed for polling by affixing one copy of the notice on the notice boards of the following offices :—

(i) District Election Officer (Nagar Palika)

(ii) Returning Officer (Concerned Municipality)

(iii) Concerned Municipality, and

The Returning officer shall deliver a copy of the said notice to the concerned Mayor/President or to his agent.

75-E. Publication of the list of polling Station—The Returning officer shall in accordance with these rules, provide sufficient numbers of polling stations and along with the notice issued under Rule 75-C shall publish a list showing the polling station and the polling Areas for which they shall be set up.

75-F. Allotment of symbols—Subject to the direction of State Election Commission, the Returning Officer shall prescribe symbols separately for recalling and for continuing in office of the concerned Mayor/President and shall publish the same in Form-26.

75-G. The manner of publication of form 26 under Rule 75-F—Form 26 shall be published along with the publication of the notice of election under Rule 75-C and such publication shall be made by affixing the notices on the notice boards of the following offices :

(i) District Election Officer (Municipality)

(ii) Returning Officer (Concerned Municipality)

(iii) Concerned Municipality, and

The Returning Offcer shall also deliver one copy of form 26 to the concerned Mayor/President or to his agent.

75-H. Declaration of the result of poll—The Returning Officer, as far as possible, immediately after counting of votes shall declare the result of poll in form 27 and shall send its two duly signed copies to the District Election Officer, out of which one shall be for record and the other shall be forwarded by him to the State Election Commission.

75-I. Notification of the result of election in recall of Mayor/President—The result of election in relation to recall of Mayor/President shall be notified by the State Election Commission in the official Gazette.

75-J. Notification of Vacancy—If, out of the total number of voters casting their votes, more than half have cast their votes in favour of recalling the concerned Mayor or the President, the office of the concerned Mayor or the President, as the case may be, shall be deemed to be vacant with effect form the date of declaration of the result and the notice of such vacancy shall be notified by the State Government in the official in the Gazette.

6. After sub-rule (4) of rule 76, the following sub rule shall be inserted

"(5) Notwithstanding any contained in this rule, the security deposit made under Rule 26 shall not returned and shall stand forfeited to the State Government, if a claim therefore is not preferred by the person, making in or through his legal representative, as the case may be within six months from the date of declaration of result of election.

7. After appended form 24 of rule the following form 25, 26, 27 shall be inserted, namely :—

FORM 25
(See Rule 75-C)

OFFICE OF THE DISTRICT ELECTION OFFICER (MUNICIPALITY)

District...Notice of election in relation to recall of Mayor/ President.......................................No. .... under sub-section (2) of section 24 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956/under sub-section (2) of section 47 of the Chhattisgarh Act, 1961 the Government of Chhattisgarh Department of Urban Administration and Development Department has made a reference to the State Election Commission to conduct polling in relation to recall of the Mayor of Municipal Corporation................................../President of Municipality/Nagar Panchayat...Shri/Smt. ....on the ground that three fourths of the Councillors have signed the motion for recalling.

Whereas, under sub-section (3) of section 24 of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956/under sub-section (3) of section 47 of the Chhattisgarh Act, 1961 the State Election Commission has directed me to arrange for polling, in relation to recall of the said Mayor/President in, accordance with the rules;

Therefor in exercise of the power conferred by Rule 75-C of Chhattisgarh Nagarpalika Nirvachan Niyam, 1994, I.......................................District Election Officer (Municipality) District......................................hereby give notice for polling in relation to recall of the said Mayor/President Shri/Smt...................................of Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat......................................as follows :

(1) The polling shall be held on...........................from.....................A.M. to ..........................P.M.

(2) The counting shall be held on ....at place... from..............................A.M. to ....P. M.

(3) Shri...Collector/Sub Divisional Officer (Revenue) shall be Returning Officer.

Place :

Dated :

....
District Election Officer (Municipality)
District..
Name...

FORM 26
(See Rule 75-F)

Polling in relation to recall of Mayor/President

Polling in relation to recall of the Mayor/Presidnt Shri/Smt. ....of Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat..

Name (1)	Voting options (2)		Symbol (3)
	A-	For recall (To vacate Office)	....
	B-	Against recall (To continue to hold office as before)	....

Place................................

Dated ....

....

Returning Officer (Nagar Plika)

Name...

FORM 27

(See Rule 75-H)

Declaration of result of Polling in relation to recall of Mayor/President

Polling was held on..in relation to recall of the Mayor/President Shri/Smt ....of Municipal Corporation/Municipal Council/Nagar Panchayat ....Total ....Votes were cast of which...................................... votes were in favour of recall and ....Votes were against recall and......................................were found invalid.

Therefore, I ....The Returning Officer hereby declare that more than half/less than half of the total number of voters casting their votes have in favour of recalling the Mayor/President, consequently the Mayor/President is deemed to have vacated the officer/shall continue to hold officer as before.

Place...

Date ....

....

Signature (Returing Officer)

(Name......................................)

(Seal ....)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुधीर कुमार अग्रवाल, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007